प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

गैर–ऋणी किसानों के लिए खरीफ 2023 में आवदेन हेतू अति आवश्यक सूचना

फसलों का बीमा करवाने के लिए पोर्टल जल्द खुलने वाला है

ऐसे किसान भाई जिन्होनें किसी भी बैक से कोई भी ऋण नहीं ले रखा और वे किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करवाना चाहते है। वह सभी किसान भाई अपनी फसल का बीमा अटल सेवा केन्द (सी0एस0सी0), बैंक तथा राष्ट्रीय फसल बीमा योजना (एन0सी0आई0पी0) के माध्यम से करवा सकते है। जिस के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक है।

A. भू मालिक किसानों के लिए

दस्तावेजों की सूचि निम्न प्रकार से है।

1. नवीनतम आधार कार्ड की प्रति।
2. नवीनतम बैक पासबुक की प्रति (जिस पर **बैंक** की मोहर लगी हुई हो)।
3. जमीन की जमाबंदी/फर्द **जिसमें किसान का नाम**, खेवट नम्बर, खसरा नम्बर **(किल्ला नम्बर)** स्पष्ट रुप से दर्ज हों।
4. विभाग द्वारा जारी फसल **बुआई प्रमाण** पत्र ही **भरें जिसमें** खेवट नम्बर, खसरा नम्बर **(किल्ला नम्बर)**, फसल का नाम और फसली गांव का नाम स्पष्ट रूप से भरा हुआ हो और गांव के सम्बंधित नम्बरदार के साथ पटवारी या कृषि विकास अधिकारी/खंड कृषि अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर लगवाकर सत्यापित किया गया हो ।इसके अतिरिक्त किसान भाई फसल **बुआई प्रमाण** पत्र न लगाने की स्थिति मे पटवारी द्वारा जारी खसरा गिरदावरी भी मान्य होगा।

B. पट्टे पर किसानी करने वाले किसानों के लिए।

दस्तावेजों की सूचि निम्न प्रकार से है।

1. नवीनतम आधार कार्ड की प्रति।
2. नवीनतम बैक पासबुक की प्रति (जिस पर **बैंक** की मोहर लगी हुई हो)।
3. यदि किसान द्वारा जमीन पट्टे/ठेके पर **ली गई है** वे किसान भाई विभाग द्वारा जारी काश्तकार किसान प्रमाण पत्र ही भरे व इसमे दिये गये सभी सूचना के साथ–2 मेरी फसल मेरा ब्यौरा का रजिस्ट्रेशन नम्बर **दर्ज़ करें** व पंजीकरण की स्पष्ट प्रति भी संलग्न करें।
4. विभाग द्वारा जारी फसल **बुआई प्रमाण** पत्र ही **भरें** जिस मे खेवट नम्बर, खसरा नम्बर **(किला नम्बर)**, फसल का नाम और फसली गांव का नाम स्पष्ट रूप से भरा हुआ हो और गांव के सम्बंधित नम्बरदार के साथ पटवारी या कृषि विकास अधिकारी/खंड कृषि अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर लगवाकर सत्यापित किया गया हो। इसके अतिरिक्त किसान भाई फसल बुआई प्रमाण पत्र न लगाने की स्थिति मे पटवारी द्वारा जारी खसरा गिरदावरी भी मान्य होगा।

गैर ऋणी किसानो के आवश्यक प्रारूप विभाग की वेबसाईट <u>www.agriharyana.gov.in पर</u> उपलब्ध हैं।

नोटः–उपरोक्त उल्लेखित नियमों व दस्तावेजों के अतिरिक्त कोई अन्य दस्तावेज मान्य नही होगें।

ऋणी किसान भाइयो के लिए बैंक में फसल बदलने के लिए अति आवश्यक दस्तावेज

1- यदि कोई ऋणी किसान भाई अपनी बैक में फसल पर लिये गये ऋण के अलावा अन्य कोई फसल बोना चाहता है तो किसान भाई विभाग द्वारा जारी फसल बदलने हेतू आवेदन प्रारूप पत्र ही भरे तथा उसमें मांगी हुई सभी जानकारियाँ स्पष्ट रूप से भरें!

फसल बुआई प्रमाण पत्र/Crop Sown Certificate

केवल गैर ऋणी किसानो के लिए/Only for Non-Loanee Farmers

Year/वर्ष :________________________Season/सीजनः_________________________

Crop District/फसल जिला____

Crop Block/फसल ब्लॉक____

Crop Village/फसल गांव____

Farmer Name/किसान का नाम____

Father/Husband Name/पिता / पति का नाम____________________________________

Crop Name/फसल का नाम	**Survey No./ खेवट नं0**	**Sub Division No./ खसरा नं0 / किला नं0 (मुरब्बा नंबर के साथ)**	**Sown Area /बोया गया क्षेत्र हैक्टेयर में**	**Sown date/फसल बुआई की तिथि**

Type of farmer/कृषक का प्रकारः Owner/स्वामी ☐ Tenant/काश्तकार ☐

Date/तिथि

किसान का हस्ताक्षर

मोहर व हस्ताक्षर

पटवारी /कृषि विकास अधिकारी/ खंड कृषि अधिकारी

नामः–
पदः–

गांव के सम्बंधित नम्बरदार के साथ-2 पटवारी या कृषि विकास अधिकारी/ खंड कृषि अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर लगवाकर सत्यापित किया गया हो।

काश्तकार किसान प्रमाण पत्र

काश्तकार किसान इकरारनामा

मैं श्री/श्रीमती ______________________________पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ____________________उम्र_________निवासी गांव ___________________तहसील/ब्लॉक___________व जिला_________घोषणा करता/करती हूँ कि मैं खेवट नंबर मुस्तिल____________किला नंबर/खसरा नंबर____________________में खरीफ 2023 में_____________फसल की खेती कर रहा हूँ/कर रही हूँ, जो गांव _________________ब्लॉक__________व जिला__________________के अन्तर्गत आती है। जिसका रकबा_____________हैक्टेयर है। जो मैने काश्त करने के लिए ठेके पर ली हुई है। इस भूमि पर होने वाली फसल को 'मैने मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर पंजीकृत कर दिया है। जिसकी पंजीकरण संख्या________________है। (MFMB पंजीकरण की एक कॉपी NCIP पोर्टल पर भूमि दस्तावेजों के साथ लगाएं।)

भमि स्वामी इकरारनामा

मैं श्री/श्रीमती ______________________________पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ____________________उम्र_________निवासी गांव ___________________तहसील/ब्लॉक____________व जिला___________घोषणा करता/करती हूँ कि मैने अपनी जमीन जिसका खेवट नंबर________________मुस्तिल______________किला नंबर/खसरा नंबर_______जिसका रकबा हैक्टेयर है जो गांव _________________ब्लॉक___________व जिला__________________के अन्तर्गत आती है। जिसको मैने खरीफ 2023 फसल की खेती करने के लिए श्री/श्रीमती ______________________________पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री उम्र________निवासी गांव _____________________तहसील / ब्लॉक__________व जिला__________को दे रखा है यदि यह अपनी फसल का बीमा करवाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त जमीन पर स्वयं किसी फसल की खेती नहीं कर रहा हूँ और ना ही श्री/श्रीमती _______________के अलावा किसी दूसरे को जमीन काश्त पर दी है।

हमारे द्वारा यह सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त दी गई जानकारी सही है और इसमें किसी प्रकार की कोई भी जानकारी छुपाई नहीं गई है, यदि हमारे द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो संबंधित बीमा निरस्त किया जा सकता है जिसके लिए हम कानूनन स्वयं जिम्मेवार होंगे और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए पाबंद रहेंगे।

नाम :

मोबाईल नंबर :

आधार संख्या :

मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकृत संख्या :

काश्तकार हस्ताक्षर

नामः

मोबाईल नंबर :

आधार संख्या :

मलकियत हस्ताक्षर :

- **आपकी जमीन के कागजात पटवारी/नायब तहसीलदार/तहसीलदार से सत्यापित होने जरूरी है।**
- **यह इकरारनामा नोटरी द्वारा सत्यापित होना अनिवार्स है।**